

अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष-2021

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम अनिल कुमार जैन
2. उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो नगर पालिका निगम, उज्जैन
3. वर्तमान धारित पद सुपरी कानून प्रवर्तन बोर्ड
4. वर्तमान वेतन (IS, 6000-39100-6600)
5. आगामी वतनवृद्धि का तारीख 01 जुलाई 2021

मासिक मूल वेतन (25, 880 + 6600) = 33460.00


उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ध्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा ध्यौरे	संपत्ति से वार्षिक आय	अभिधु
	1	2					
उज्जैन	गृह (6+1) 33, 41 विराला क्षेत्र, उज्जैन	श्रवण (40'x60') D-431 विक्रान्तर नगर उज्जैन	140, 000 रुपये	श्रीमति श्रुति जैन (पति) एवम् अनिल कुमार जैन के संयुक्त नाम से है।	बैंक अर्वा (Joint Loan) GPF तथा स्वयंभू के द्वारा अर्जित यानी से दिनांक 21.10.2002 को उज्जैन विकास अधिकरण के श्रवण 8.7.2002 में कीज रेंड पर कुछ किया। बाद में श्रवण को जी- टैल्ड कराया। श्रीम सहकारी गृह निर्माण संस्था अर्वा. से वर्ष 1997 में रु. 21, 600/- में कुछ किया।		

1- जहाँ नाम न हो काट दीजिए।

2- ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3- इसमें अत्यवकाशीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : म.प्र. शासकीय संरक्ष (आवरण) नियम, 1969 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा है कि वह संलग्न प्रकृति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसके यह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अधिगत अर्वा उस विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अवल सम्पत्ति के धारे दें।

हस्ताक्षर: 
 पदनाम: सु. कानून प्रवर्तन बोर्ड
 नाम: अनिल कुमार जैन

मो.नं. 95849-94101